सेवा में,
अपीलीय अधिकारी,
पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया,
केंद्रीय कार्यालय, गुड़गांव, हरियाणा

महोदय,
विषय आर0टी0आई0 एक्ट 2005 के तहत प्रथम अपील
सादर निवेदन है कि मुझे आपके विभाग द्वारा PGCIL/R/T/21/00040 के सन्दर्भ में गोलमटोल,गुमराह करने वाली व भ्रामक सूचना प्राप्त हुई है,जो कि आपके विभाग में DEPwD(दिव्यांगजन) के द्वारा RTI ACT 2005 की धारा 6(3) के तहत ट्रांसफर की गई है।इस सम्बंध में निवेदन है कि-

1- आपके मंत्रालय/विभाग में लोकोमोटर डिसेबिलिटी को OL,BL,OAL,BAL,BA,इत्यादि में जिस प्रकार उप विभाजित करके पदों को चिन्हित किया गया है,वह एक्ट की धारा 34(C)के विपरीत है,जैसा कि एक्ट की धारा 34(C)में स्पष्ट है कि(c) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and
muscular dystrophy;
आपके विभाग द्वारा अंगों का कमी व बनावट के आधार पर भेदभाव करते हुए बोथ लेग/बोथ आर्म अफ्फेक्टेड विकलांगजन को इंजीनियरिंग सहित तमाम पदों हेतु भर्ती की प्रक्रिया से वंचित किया जा रहा है।यह RPwDएक्ट 2016 की धारा 20, जो कि विकलांगता के आधार रोजगार में भेदभाव को निषेध करती है,के खिलाफ है।कृपया संज्ञान लें कि एक्ट के किसी भी धारा में लोकोमोटोर डिसएबल को OL,BL,OAL,BAL,BA,OA इत्यादि के आधार पर उप विभाजित करके भेदभाव नहीं किया गया है।
प्रश्नगत आर0टी0आई0आवेदन के बिंदु संख्या 1 से लेकर 6 तक का संज्ञान लें,जो कि इसी सम्बन्ध में है तथा आपके विभाग द्वारा जानबूझकर नजरअंदाज करते हुए सूचना देने से किनारा किया जा रहा है।

2- आर0टी0आई0 आवेदन के किसी भी विंदु में आपके विभाग द्वारा दिव्यांगजन हेतु चिन्हित पदों की सूची नहीं मांगी गई है,जैसा कि CPIO द्वारा लिंक के माध्यम से दिया गया है।आपके विभाग द्वारा दी गई जानकारी मांगी गई सूचना से परे व गुमराह करने वालीYY है।
3-RPwD एक्ट 2016 की धारा 33 (ii) में कहा गया है कि,constitute an expert committee with representation of persons with benchmark disabilities for identification of such posts;
कृपया संज्ञान लें कि,एक्ट की धारा 33 (ii) में पोस्ट चिन्हित करने वाली एक्सपर्ट कमेटी में benchmark disability के दिव्यांगजन के प्रतिनिधित्व का निर्देश दिया है,परन्तु आपके विभाग द्वारा इसकी अनदेखी की गई है।आपके द्वारा गठित की गई एक्सपर्ट कमेटी में लोकोमोटोर डिसएबल के प्रत्येक दिव्यांगजन का प्रतिनिधित्व नहीं है,जैसा कि आपके विभाग तथा भारत सरकार के अधीन अन्य कई संस्थानों द्वारा पदों को चिन्हित करते हुए लोकोमोटोर डिसएबल को OL,BL,OAL,BAL,BA,OA इत्यादि में उपविभाजित करके किया गया है।

4-RPwD एक्ट 2016 के आर्टिकल 34(C) में लोकोमोटोर डिसएबल की defination में लोकोमोटोर disable को OL,BL,OAL,BAL,BA,OA इत्यादि में उप विभाजित नहीं किया गया है,तदनुसार DEPwD(दिव्यांगजन)MOSJE नई दिल्ली के द्वारा दिव्यांगजनों हेतु पदों को चिन्हित करने वाली एक्सपर्ट कमेटी में लोकोमोटोर डिसएबल/ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड कैटेगरी का केवल एक ही प्रतिनिधि रखा ही गया है,परन्तु लोकोमेटर डिसएबल डिसएबल हेतु जॉब identified करते समय इसे OL,BL,OAL,BAL,BA,OA इत्यादि की कई उपश्रेणियों में बांट दिया मनमर्ज़ी तरीके से बांट कर एक्ट की गाइडलाइन्स का उल्लंघन किया गया है।
यही प्रक्रिया जस की तस अन्य गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंटस द्वारा अपनाई है तथा लैंगिक/शारीरिक कमी के आधार पर विकलांग जनों के मध्य रोजगार देने में भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हुए BL तथा BA उपश्रेणी के लोकोमोटोर दिव्यांगजनों को वंचित किया गया है,जो कि एक्ट के आर्टिकल 20 के खिलाफ है।।

आपके विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से एक्ट की धारा 33(ii),34(C) तथा 20 का violation करते हुए पदों को चिन्हित किया गया है तथा भ्रामक रूप से गोलमटोल सूचनाएं दी जा रही हैं।

5- RPwD एक्ट 2016 के क्रम में जारी किए गए भारत के गजट का Point no. 9 में कार्यात्मक आवश्यकता/physical requirement यानि

कि S,ST,W,BN,C तथा valid disability certificate की बात लिखी है न कि OL,BL,OA,BA इत्यादि में उपविभाजित करने की,कृपया पदों को चिन्हित करते समय संज्ञान में लेने की कृपा करें।

6- DEPWD(दिव्यांगजन) द्वारा आपके कार्यालय में ट्रांसफर की गई प्रश्नगत आर0टी0आई0 के आवेदन पत्र में ग्रुप A के तहत उन विभागों/ मंत्रालयों को श्रेणीबद्ध किया गया है,जिन मंत्रालयों/विभागों द्वारा एक्ट के आर्टिकल 33 तथा 34 का अक्षरशः पालन करते हुए दिव्यांगजनों हेतु पदों को चिन्हित किया गया है

7-DEPWD(दिव्यांगजन) द्वारा आपके कार्यालय में ट्रांसफर की गई प्रश्नगत आर0टी0आई0 के आवेदन पत्र में ग्रुप B के तहत उन विभागों/मंत्रालयों को श्रेणीबद्ध किया गया है,जिन मंत्रालयों/विभागों द्वारा एक्ट के आर्टिकल 33 तथा 34 का अक्षरशः पालन न करते हुए दिव्यांगजनों हेतु पदों को चिन्हित किया गया है तथा लोकोमोटोर दिसबलेलिटी को OL,BL,OA,BA इत्यादि में उपविभाजित करते हुए भेदभावपूर्ण विधि से पदों को चिन्हित किया गया है।
कृपया स्पष्ट हों कि प्रश्नगत आर0टी0आई आवेदन के बिंदु संख्या 6 व 7 में बताए गए ग्रुप A तथा ग्रुप B को ग्रुप A तथा B कैटेगरी की पोस्ट न समझ जाए।

ऐसा प्रतीत होता है कि आपके विभाग द्वारा जानबूझकर सूचनाएं इस आड़ में छुपाई जा रही हैं व गुमराह किया जा रहा है कि,इन्हें धारा 6 (3) के तहत अग्रसारित नहीं किया जा सकता है।अतः आपसे विनम्र अपील है कि कृपया वांक्षित सूचनाओं के प्रत्येक विंदु का संज्ञान लेते हुए सूचनाएं उपलब्ध करवाने की की कृपा करें,चूंकि वह क्रमबद्ध हैं व एक दूसरे से जुड़ी हैं।

सम्मान सहित
प्रार्थी,

रवींद्र कुमार कश्यप
एल 3/487,विनीत खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
मो07007876867